रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20052022-235905
CG-DL-E-20052022-235905

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 356] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 20, 2022/वैशाख 30, 1944
No. 356] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 20, 2022/VAISAKHA 30, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2022

संख्या 44/2022–सीमाशुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 373(अ).—सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा सीमाशुल्क टैरिफ (भारत गणराज्य और जापान के बीच विस्तृत आर्थिक साझेदारी करार के अंतर्गत माल के उदगम का निर्धारण) नियमावली, 2011, में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभन.- (1) इन नियमों को सीमाशुल्क टैरिफ (भारत गणराज्य और जापान के बीच विस्तृत आर्थिक साझेदारी करार के अंतर्गत माल के उदगम का निर्धारण) संशोधन नियमावली, 2022 कहा जा सकता है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. सीमाशुल्क टैरिफ (भारत गणराज्य और जापान के बीच विस्तृत आर्थिक साझेदारी करार के अंतर्गत माल के उदगम का निर्धारण) नियमावली, 2011, के अनुलग्नक -1 के, भाग 2 के, धारा I के, अध्याय 3 में आंकड़ों और शब्द "03.01-03.07 निर्माण जिसमें उपयोग की गई सभी सामग्रियां को पूर्णतः प्राप्त किया जाता है।", को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"0301.10-0304.92

निर्माण जिसमें उपयोग की गई सभी सामग्रियां को पूर्णतः प्राप्त किया जाता है।

0304.99

किसी अन्य अध्याय से उप-शीर्ष 0304.99 में परिवर्तन।

0305.10-0307.99

निर्माण जिसमें उपयोग की गई सभी सामग्रियां को पूर्णतः प्राप्त किया जाता है।"

[फा. सं. 20000/3/2012-ओएसडी(आईसीडी)]

कोमिला पुनिया, उप सचिव

नोट: इस प्रधान नियमावली को अधिसूचना संख्या 55/2011-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 1 अगस्त, 2011 को सा.का.नि. 594(अ), दिनांक 1 अगस्त, 2011 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अधिसूचना संख्या 14/2018-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 19 फरवरी, 2018,को सा.का.नि. 177(अ), दिनांक 19 फरवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2022

No. 44/2022 - Customs (N.T.)

G.S.R. 373(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Customs Tariff (Determination of Origin of Goods under the Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of India and Japan) Rules, 2011, namely:-

1. Short title and commencement. - (1)These rules may be called the Customs Tariff (Determination of Origin of Goods under the Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of India and Japan) Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Customs Tariff (Determination of Origin of Goods under the Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of India and Japan) Rules, 2011, in Annexure-1, in Part 2, in Section I, in Chapter 3, for the figures and words “03.01-03.07 Manufacture in which all the materials used are wholly obtained.", the following shall be substituted, namely: -

“0301.10-0304.92

Manufacture in which all the materials used are wholly obtained.

0304.99

A change to sub-heading 0304.99 from any other chapter.

0305.10-0307.99

Manufacture in which all the materials used are wholly obtained."

[F. No.20000/3/2012-OSD(ICD)]

KOMILA PUNIA, Dy. Secy.

Note : The principal rules were published, *vide* notification No. 55/2011-Customs(N.T.), dated the 1st August, 2011, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* number G.S.R. 594(E), dated the 1st August, 2011 and was amended *vide* notification No. 14/2018 –Customs (N.T.), dated the 19th February, 2018, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 177(E), dated the 19th February, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.05.20 19:54:28 +05'30'